

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 3994 / 2015

प्रदीप कुमार सिंह

बनाम

श्रीमती मधु द्विवेदी बालिगा व अन्य

आदेश दिनांक :

14.03.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री अभि शर्मा, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी संख्या-1 का नोटिस बाद/अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ है।
अतः प्रत्यर्थी संख्या-1 की तामील हेतु आवश्यक पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर
नोटिस चार सप्ताह में वापिसी योग्य जारी किये जावें।

आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में पूरी की जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति